संख्या -1/2016/ 390 / अड.तीस -5-2016- 22सम/2013

प्रेषक,

वी0हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 27 अप्रैल, 2016

विषय: विधान सभा एवं विधान परिषद के प्रत्येक मा0 सदस्य की संस्तुति पर पेयजल की समस्या के त्वरित निदान हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में नये इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प के अधिष्ठापन तथा हैण्डपम्प रिबोर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-303/अडतीस-5-2016-22सम/2013, दिनांक 14 अप्रैल, 2016 को एतदद्वारा निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या की विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त विधान सभा एवं विधान परिषद के प्रत्येक मा0 सदस्य की संस्तुति पर उनके निर्वाचन क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नये इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प एवं 100 रिबोर इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प के अधिष्ठापन का निर्णय लिया गया है।

2- विधान सभा एवं विधान परिषद के प्रत्येक मा0 सदस्य की संस्तुति पर 100 नये इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प एवं 100 रिबोर इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प का अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में मार्ग-दर्शी व्यवस्था निम्नवत होगी:-

(1) प्रस्तावित नये इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन 150 की आबादी तथा 02 हैण्डपम्पों के मध्य न्यूनतम 75 मीटर की दूरी के निर्धारित मानक को ध्यान में रखते हुए कराये जायेंगे।

(2) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के मा0 सदस्य विधान सभा एवं विधान परिषद द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन एवं हैण्डपम्पों की रिबोरिंग हेतु उपलब्ध करायी गयी सूची का परीक्षण निर्धारित मानकानुसार करते हुए जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन तथा रिबोरिंग कराया जायेगा।

(3) 100 नये एवं 100 रिबोर हैण्डपम्प का अधिष्ठापन विधान सभा एवं विधान परिषद के प्रत्येक मा0 सदस्य द्वारा उनकी संस्तुति के आधार पर उनके निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में निर्धारित मानक के अनुसार लगाये जायेंगे।

(4) जिन हैण्डपम्पों की रिबोरिंग की जाय उसके बारे में सुनिश्चित कर लिया जाय कि वे हैण्डपम्प रिबोर योग्य निर्धारित आयु एवं अन्य निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया हो।

(5) मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में उपरोक्तानुसार नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन तथा रिबोर के लिए उपलब्ध करायी गयी सूची में हैण्डपम्पों की संख्या की सीमा को सुनिश्चित करने का दायित्व उत्तर प्रदेश जल निगम के सम्बन्धित जोन के मुख्य अभियन्ता तथा प्रदेश स्तर पर यह सीमा सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) उपरोक्तानुसार नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन एवं रिबोर हैण्डपम्पों पर व्यय होने वाली धनराशि राज्य सेक्टर के अन्तर्गत संचालित "राज्य ग्रामीण पेयजल योजना" से कार्यदायी संस्थाओं को मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) उपरोक्तानुसार नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन एवं रिबोरिंग का कार्य जनपदवार उत्तर प्रदेश जल निगम एवं यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0 के मध्य क्रमश: 90:10 के अनुपात में शासनादेश संख्या-7481/38-5-2001-653/95, दिनांक 16 अक्टूबर, 2001 के अनुसार कराया जायेगा। तद्नुसार उसी सीमा तक बजट एवं स्थान की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

भवदीया,

वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव

संख्या:1/2016/ 390 (1) /अड.तीस-5-2016, तददिनांक,

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
4. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव/ कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
7. आयुक्त, ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्स्ट्रियल कार्पो0 लि0, लखनऊ।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत पत्र को ई-मेल के माध्यम से समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 को शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।